(87)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 785–पीबीआर/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–4–2004 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना, प्रकरण कमांक 525/स्व0निगरानी/1998–99

.....

अनंतराम पुत्र कालूराम
निवासी ग्राम सगोरिया तहसील गुना
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–संजय सिंह पुत्र मिश्रीलाल
निवासी ग्राम सगोरिया तहसील गुना
जिला गुना म0प्र0
2–म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक

.....

## :: आदेश ::

( आज दिनांक 15/2/12 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 109, 110 व 190 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सगोरिया तहसील गुना स्थित भूमि सर्वे नम्बर 184 में से रकबा 0.41 हेक्टेयर, जिसके कि अनावेदक कमांक 1 भूमिस्वामी हैं, द्वारा 10 वर्ष

पूर्व कम्पनसेशन लेकर कब्जा आवेदक को सौंप दिया गया था, तब से वह कृषि कार्य कर रहा है, इसलिये उसे मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त होकर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 6–1–1992 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । उक्त प्रकरण को कलेक्टर जिला गुना द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर अपर कलेक्टर को कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–4–2004 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अनावेदक क्रमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों के आधार पर करने का अनुरोध किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया है और तहसील न्यायालय के निर्देश के अनुसार उसके द्वारा 15 गुना लगान भी जमा कर दिया गया है ।

(2) अपर कलेक्टर द्वारा लगभग 7 वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है जो कि अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक लगभग 18 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज है, जिस कारण उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर कलेक्टर द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण आदेश संहिता की धारा 109, 110 व 190 के अन्तर्गत मौरूसी कृषक के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से संहिता की धारा 190 के तत्वो को प्रमाणित नहीं किया गया है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये मूल भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश देने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–2004 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर